

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 9 अप्रैल, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदानों की वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक 31.03.2017 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदानों में अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत मतदेय पक्ष में प्राविधानित बजट में से समस्त संलग्न के कॉलम-ग में अंकित आवंटित धनराशि ₹0 17255/-हजार (₹0 एक करोड़ बहत्तर लाख पचपन हजार मात्र) एवं धनराशि ₹0 3667/-हजार (₹0 छत्तीस लाख सड़सठ हजारमात्र) इस प्रकार कुल धनराशि ₹0 20922/-हजार (₹0 दो करोड़ नौ लाख बाईस हजार मात्र) व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- i. वचनबद्ध मदों की धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक आवश्यकतानुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय सृजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
- ii. अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी। और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बजट सुनिश्चित की जायेगी।
- iii. अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में विशेषकर अवचनबद्ध मदों में विगत वर्ष के सापेक्ष किसी मुद्रण त्रुटि अथवा अन्य कारण से बजट प्राविधान में अप्रत्याशित एवं /अथवा अत्यधिक वृद्धि (औसत 25 प्रतिशत से अधिक) हुई हो उन प्रकरणों में व्यय शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जाय।
- iv. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा का ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही प्रनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
- v. उक्त स्वीकृति में मानक मद 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता तथा मानक मद-42 अन्य व्यय (जिला योजना एवं केन्द्र पोषित योजनाओं को छोड़कर) हेतु स्वीकृत धनराशि के प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग/बजट नियन्त्रण अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किशतों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी एवं द्वितीय किशत को प्रथम किशत के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- vi. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने

- के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
- vii. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- यह आदेश वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं। उक्त शासनादेश के समस्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)2012, दिनांक 28.03.2012 तथा तदक्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन दिये गये निर्देशों के क्रम में सॉफ्टवेयर से किये गये बजट आवंटन सम्बन्धी आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक- यथोपरि


भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।

संख्या: 101 (1)/XXVI/एक(4)/2017- तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार, देहरादून।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल

आज्ञा से,


(रजनीश जैन)
अनु सचिव।

अ-मतदेय

(धनराशि हजार रुपये में)

| क्र. सं० | अनुदान संख्या-07 लेखाशीर्षक | वित्तीय वर्ष 2017-18 | | |
|----------|---|----------------------|---------------|----------|
| | 3451-सचिवालय आर्थिक सेवार्ये- 092-अन्य कार्यालय- 03-नियोजन अधिष्ठान | | बजट प्राविधान | स्वीकृति |
| | | क | ख | ग |
| 1 | 01-वेतन | | 12471 | 12471 |
| 2 | 02-मजदूरी | | 3 | 3 |
| 3 | 03-मंहगाई भत्ता | | 749 | 749 |
| 4 | 04-यात्रा व्यय | | 67 | 67 |
| 5 | 05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता | | 7 | 7 |
| 6 | 06-अन्य भत्ते | | 582 | 582 |
| 7 | 07-मानदेय | | 200 | 200 |
| 8 | 08-कार्यालय व्यय | | 100 | 100 |
| 9 | 09 विद्युत देय | | 1 | 0 |
| 10 | 10- जलकर/जलप्रभार | | 1 | 0 |
| 11 | 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | | 33 | 33 |
| 12 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | | 20 | 20 |
| 13 | 13-टेलीफोन पर व्यय | | 50 | 50 |
| 14 | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद | | 33 | 33 |
| 15 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | | 2500 | 2500 |
| 16 | 17- किराया, उपशुल्क और कर स्वमित्त | | 167 | 0 |
| 17 | 18-प्रकाशन | | 17 | 17 |
| 18 | 19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | | 50 | 50 |
| 19 | 22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता | | 23 | 23 |
| 20 | 26-मशीनें साज सज्जा उपकरण/ संयंत्र | | 50 | 50 |
| 21 | 27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | | 100 | 100 |
| 22 | 42-अन्य व्यय | | 50 | 50 |
| 23 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | | 17 | 17 |
| 24 | 46-कम्प्यूटर हार्ड/ साफ्टवेयर का कय | | 33 | 33 |
| 25 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय | | 67 | 67 |
| 26 | 51-मंहगाई वेतन | | 33 | 33 |
| | | कुल योग:- 03 | 17424 | 17255 |

तालिका-अ का योग- (एक करोड़ बहत्तर लाख पचपन हजार रुपये मात्र)


ब- मतदेय

(धनराशि हजार रुपये में)

| क्र.सं | योजना/मानक मद का नाम | बजट प्रावधान | स्वीकृति |
|--------|--|--------------|----------|
| | 3451-सचिवालय आर्थिक सेवार्ये-092- अन्य कार्यालय- 04-आयोजनागत विकास कार्यों का मूल्यांकन | | |
| 1 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 2667 | 2667 |
| | 3451-सचिवालय आर्थिक सेवार्ये-092- अन्य कार्यालय- 99-पीपीपी प्रकोष्ठ का गठन | | |
| 2 | 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 1000 | 1000 |
| | कुल योग | 3667 | 3667 |

तालिका-ब का योग-(छत्तीस लाख सड़सठ हजार रुपये मात्र)

तालिका-अ एवं तालिका-ब द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि रु० 20922 हजार (दो करोड़ नौ लाख बाईस हजार मात्र)।


(रजनीश जैन)
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Planning (S036)

आवंटन पत्र संख्या - 101

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1704070108

आवंटन पत्र दिनांक -10-Apr-2017

HOD Name - Director State Planning Commission (2940)

- 1: लेखा शीर्षक 3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें 00 -
 092 - अन्य कार्यालय
 03 - नियोजन अधिष्ठान
 00 - नियोजन अधिष्ठान

Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 01 - वेतन | 0 | 12471000 | 12471000 |
| 02 - मजदूरी | 0 | 3000 | 3000 |
| 03 - महंगाई भत्ता | 0 | 749000 | 749000 |
| 04 - यात्रा व्यय | 0 | 67000 | 67000 |
| 05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0 | 7000 | 7000 |
| 06 - अन्य भत्ते | 0 | 582000 | 582000 |
| 07 - मानदेय | 0 | 200000 | 200000 |
| 08 - कार्यालय व्यय | 0 | 100000 | 100000 |
| 11 - लेखन सामग्री और फार्मों की हद | 0 | 33000 | 33000 |
| 12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0 | 20000 | 20000 |
| 13 - टेलीफोन पर व्यय | 0 | 50000 | 50000 |
| 15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट | 0 | 33000 | 33000 |
| 16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा | 0 | 2500000 | 2500000 |
| 18 - प्रकाशन | 0 | 17000 | 17000 |
| 19 - विज्ञापन, चिकी और विख्यापन | 0 | 50000 | 50000 |
| 22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ | 0 | 23000 | 23000 |
| 26 - भूशिले और सजा / उपकरण औ | 0 | 50000 | 50000 |
| 27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 0 | 100000 | 100000 |
| 42 - अन्य व्यय | 0 | 50000 | 50000 |
| 45 - अवकाश यात्रा व्यय | 0 | 17000 | 17000 |
| 46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/माफ्टवेयर | 0 | 33000 | 33000 |
| 47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्पम्बन्धी | 0 | 67000 | 67000 |
| 51 - महंगाई वेतन | 0 | 33000 | 33000 |
| | 0 | 17255000 | 17255000 |

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

17255000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Planning (S036)

आवंटन पत्र संख्या - 101

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1704070110

आवंटन पत्र दिनांक -10-Apr-2017

HOD Name - Director State Planning Commission (2940)

1: लेखा शीर्षक 3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें 00 -
092 - अन्य कार्यालय
04 - आयोजनागत विकास कार्यो क्रमों का मूल्यांकन
00 - आयोजनागत विकास कार्यो क्रमों का मूल्यांकन

Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|--------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा | 0 | 2667000 | 2667000 |
| | 0 | 2667000 | 2667000 |

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

2667000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Planning (S036)

आवंटन पत्र संख्या - 101

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1704070111

आवंटन पत्र दिनांक -10-Apr-2017

HOD Name - Director State Planning Commission (2940)

- 1: लेखा शीर्षक 3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें 00 -
092 - अन्य कार्यालय
99 - पीपीपी प्रकोष्ठ का गठन
00 - नियोजन विभाग के अन्तर्गत पीपीपी प्रकोष्ठ का गठन

Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज | 0 | 1000000 | 1000000 |
| | 0 | 1000000 | 1000000 |

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1000000